Juni Khyat (जूनी ख्यात) ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-04, No.01, April: 2026

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन - विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में

माधवी अबिचंदानी शोधार्थी बरकतउल्ला विश्वविद्यालयए भोपाल
madhavisvbpl@gmail.com
डॉ. एस. के. ठाकुर शोध निर्देशक, प्राध्यापक शा. महारानी लक्ष्मीबााई कन्या स्नात्कोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल

सार (Abstract) महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के समावेशी सतत् एवं संतुलित विकास का आधारभूत स्तंभ है। "विकसित भारत" की अवधारणा में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सामाजिक प्रतिष्ठा शैक्षणिक उन्नयन तथा निर्णय-निर्माण में सक्रिय भूमिका को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु विविध लक्षित योजनाएँ जैसे लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना तथा स्व-सहायता समूह कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-डिज़ाइन का प्रयोग करते हुए प्राथमिक (सर्वेक्षण, साक्षात्कार) एवं द्वितीयक स्रोतों (सरकारी प्रतिवेदन, सांख्यिकीय आंकड़े) से प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। शोध का उद्देश्य योजनाओं की प्रभावशीलता, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रकृति, महिलाओं के आत्मविश्वास, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास तथा निर्णय क्षमता में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन के निष्कर्ष संकेत करते हैं कि राज्य शासन की उक्त योजनाओं ने महिलाओं की आय सृजन क्षमता, सामाजिक सहभागिता एवं पारिवारिक निर्णय-निर्माण में भूमिका को सुदृढ़ किया है। तथापि, क्रियान्वयन में क्षेत्रीय असमानता, जागरूकता की कमी एवं संस्थागत समन्वय की चुनौतियाँ विद्यमान हैं। समग्रतः यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्रभावी नीति-क्रियान्वयन एवं सतत् निगरानी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, नीतिगत विश्लेषण।

1. प्रस्तावना (Introduction)

महिला सशक्तिकरण किसी भी लोकतांत्रिक एवं विकासोन्मुख समाज की आधारशिला है। जब तक समाज की आधी आबादी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त नहीं होगी, तब तक समग्र विकास की परिकल्पना अधूरी रहेगी। भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, किन्तु पितृसत्तात्मक संरचना, संसाधनों तक सीमित पहुँच, शिक्षा में असमानता तथा आर्थिक निर्भरता जैसे कारकों ने उनके विकास को प्रभावित किया है।

वर्तमान वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के युग में महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त भी बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भी लैंगिक समानता को प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु बहुआयामी योजनाएँ प्रारंभ की हैं।

 Copyright @ 2026 Author

मध्यप्रदेश जैसे विशाल एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं वाले राज्य में महिला सशक्तिकरण की चुनौती और भी जटिल है। राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार एवं वित्तीय समावेशन से जुड़ी समस्याएँ विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक लक्षित योजनाएँ संचालित की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से सम्मानित तथा निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाना है।

राज्य की प्रमुख योजनाएँ—जैसे मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तथा तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना—महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों को लक्षित करती हैं। ये योजनाएँ जन्म से लेकर शिक्षा, कौशल विकास, विवाह सहायता एवं प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग तक एक समग्र संरचना प्रस्तुत करती हैं।

यद्यपि इन योजनाओं का उद्देश्य स्पष्ट एवं सकारात्मक है, तथापि इनके वास्तविक प्रभाव, क्रियान्वयन की दक्षता तथा लाभार्थियों के जीवन में आए ठोस परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु तैयार किया गया है, जिसमें राज्य शासन की महिला सशक्तिकरण योजनाओं के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, प्रभाव एवं चुनौतियों का समग्र एवं तटस्थ मूल्यांकन किया गया है।
इस प्रकार, यह अध्ययन न केवल नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि भविष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अधिक प्रभावी रणनीतियों के निर्माण हेतु एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार भी प्रदान करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

1. राज्य शासन की महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रमुख योजनाओं का विश्लेषण करना।
2. योजनाओं के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
3. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
4. नीतिगत सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध प्रविधि (Research Methodology)

- **शोध प्रकार**: वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक स्वरूप – इसमें महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति तथा शासकीय योजनाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। विश्लेषणात्मकस्वरूप योजनाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रभावों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।
- **डेटा के स्रोत**:
  - प्राथमिक स्रोत:हितग्राहियों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली
  - द्वितीयक स्रोत: सरकारी प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट, पत्र-पत्रिकाएँ
- **नमूना चयन**: शहरी वं ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित हितग्राही महिलाएँ
- **विश्लेषण पद्धति**: प्रतिशत, औसत, तुलनात्मक विश्लेषण

4 शोध डिज़ाइन (Research Design)

इस अध्ययन में Cross-Sectional Research Design अपनाया गया है।

 Copyright @ 2026 Author

इसकी प्रमुख विशेषताएँ:

1. अध्ययन एक निश्चित समयावधि में किया गया।
2. चयनित महिला लाभार्थियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा डेटा संकलित किया गया।
3. परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु सांख्यिकीय विधियों (Mean, Standard Deviation, t-test) का प्रयोग किया गया।
4. तालिकीय एवं ग्राफिक प्रस्तुतीकरण किया गया।
5. अध्ययन तथ्यात्मक (Empirical) आधार पर किया गया।

यह डिज़ाइन सामाजिक विज्ञान अनुसंधानों में उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह किसी विशिष्ट समय पर स्थिति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है।

5 अध्ययन क्षेत्र का चयन एवं औचित्य (प्रश्नावली हेतु महिला हितग्राहियों का चयन)

"महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन" विषय की प्रकृति राज्यव्यापी है। मध्यप्रदेश भौगोलिक विस्तार, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक असमानताओं तथा ग्रामीण-शहरी संरचना की दृष्टि से अत्यंत व्यापक राज्य है। राज्य के सभी संभागों एवं जिलों का प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन समय, संसाधन एवं शोध की व्यवहारिक सीमाओं के कारण संभव नहीं था। अतः शोध की व्यवहारिकता, प्रतिनिधित्व तथा तुलनात्मक विश्लेषण की दृष्टि से चयनित नमूना क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

अतः प्रतिनिधिक नमूने के रूप में भोपाल संभाग का चयन किया गया। शहरी क्षेत्र हेतु भोपाल जिले में शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व हेतु भोपाल एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रायसेन जिले का चयन किया गया

"भोपाल नगर निगम के कुल 85 वार्डों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उच्च आय/विकसित, मध्यम वर्गीय तथा निम्न आय/झुग्गी प्रधान क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक श्रेणी से लॉटरी विधि द्वारा दो-दो वार्ड चयनित किए गए। चयनित छह वार्डों से कुल 30 महिला हितग्राहियों का चयन कर संरचित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े संकलित किए गए।"

उच्च आय	अरेरा कॉलोनी	शाहपुरा
मध्यम आय	अशोका गार्डन	अयोध्या नगर
निम्न आय	सोनागिरी कच्ची बस्तियॉ	अयोध्या बायपास झुग्गी क्षेत्र

"रायसेन जिले से ग्रामीण एवं आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु बहु-स्तरीय स्तरीकृत नमूना पद्धति अपनाई गई। लॉटरी पद्धति द्वारा तीन विकासखंड चयनित किए गए तथा प्रत्येक से दो ग्राम पंचायतों का यादृच्छिक चयन किया गया। चयनित ग्रामों से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के 30 लाभार्थियों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े संकलित किए गए।"

सांची विकासखंड	ग्राम - खामखेड़ा	ग्राम - मेहगांव
सिलवानी विकासखंड	ग्राम - देवरी	ग्राम - बम्होरी
गैरतगंज विकासखंड	ग्राम - गढ़ी	ग्राम - पिपलिया

(जनसंख्या और नमूना)

- **(जनसंख्या):** सभी महिलाओं जो विभाग की योजनाओं की लाभार्थी हैं।
- **(नमूना):** 60 हितग्राही (Pilot Study)

 Copyright @ 2026 Author

- **Sampling Technique:** Stratified Random Sampling / Convenient Sampling (जिला, ब्लॉक, ग्रामीण/शहरी)

"सर्वेक्षण हेतु 60 लाभार्थी महिलाओं को **Stratified Random Sampling** के आधार पर चयनित किया गया, ताकि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो।"

6 अध्ययन की परिकल्पनाएं

परिकल्पना 1 (H1):मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त हुई हैं।

शून्य परिकल्पना (H_0):मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं का महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

परिकल्पना 2(H2): मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास एवं जागरूकता बढ़ी है तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

शून्य परिकल्पना (H_0): मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का महिलाओं के आत्मविश्वास, जागरूकता तथा उनके जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों पर कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

परिकल्पना परीक्षण इन परिकल्पनाओं का परीक्षण t-test एवं माध्य विश्लेषण द्वारा किया गया।

7 मध्यप्रदेश शासन की महिला सशक्तिकरण सम्बंधी योजनाएँ (वर्गीकरण सहित)

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके विकास को सुनिश्चित करना है। अध्ययन की सुविधा के लिए इन योजनाओं को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएँ

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है।

1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
2. स्व सहायता समूह
3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
4. महिला समृद्धि योजना
5. तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना
6. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

मुख्य उद्देश्य:

- महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
- आय के साधनों में वृद्धि करना
- आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना

 Copyright @ 2026 Author

2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित योजनाएँ

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना है।

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
3. उज्ज्वला योजना
4. जननी सुरक्षा योजना
5. राष्ट्रीय पोषण अभियान

मुख्य उद्देश्य:

• महिलाओं एवं माताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा
• गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता
• सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना

3. शिक्षा एवं बालिका सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएँ

इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।

1. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
2. गांव की बेटी योजना
3. प्रतिभा किरण योजना
4. गणित एवं विज्ञान प्रोत्साहन योजना

मुख्य उद्देश्य:

• बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना
• बाल विवाह की प्रवृत्ति को कम करना
• बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना

8 प्रमुख योजनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। तथापि किसी एक शोध पत्र की सीमित परिधि में सभी योजनाओं का विस्तृत वर्णन एवं विश्लेषण करना संभव नहीं है। अतः अध्ययन को अधिक सुव्यवस्थित एवं सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध में योजनाओं को प्रमुख तीन वर्गों–आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा/बालिका सशक्तिकरण–में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि योजना का चयन कर उसका वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं की प्रकृति प्रभाव तथा चुनौतियों का सम्यक् अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

1 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह प्रत्यक्ष वित्तीय

 Copyright @ 2026 Author

सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह निर्धारित राशि अंतरित की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

प्रभाव (Impact):

- महिलाओं की व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई है।
- परिवार के आर्थिक एवं सामाजिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है।
- महिलाओं के आत्मविश्वास एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखी गई है।

चुनौतियाँ(Challenges):

•पात्र हितग्राहियों के चयन एवं पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया कई स्थानों पर जटिल पाई गई है।
• विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ महिलाओं को समय पर लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

सारणी : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय

वर्ष / अवधि	**हितग्राहियों की संख्या** करोड़ में	**प्रति माह वित्तीय सहायता**	**प्रति माह वित्तीय सहायता** करोड़ में
2023 (योजना प्रारंभ)	1.25	₹1000	₹15,000
2024	1.27	₹1250	₹19,050
2025	1.26–1.27	₹1250	₹18,699 करोड़
2026	1,25,31,000	₹1250	₹18,360

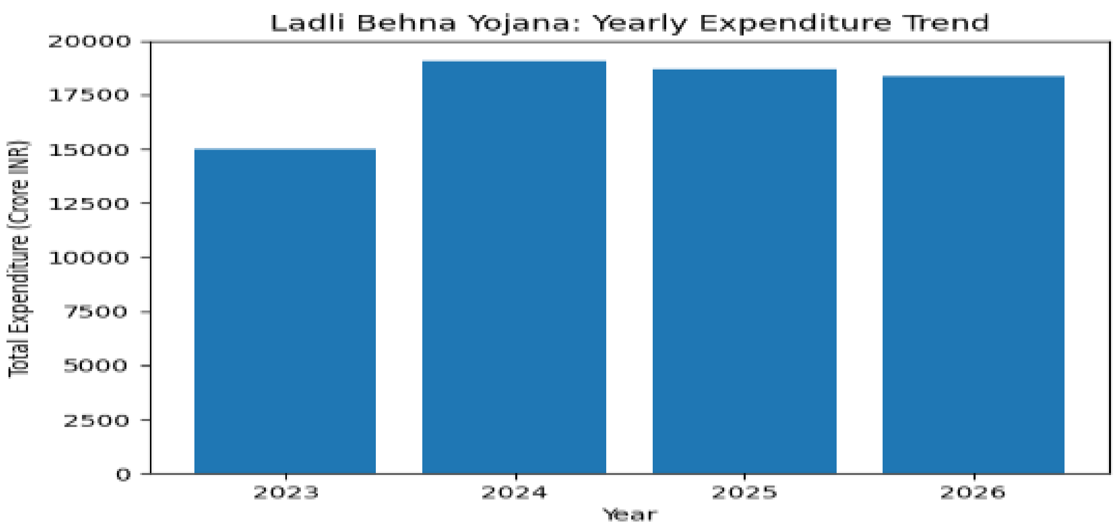

<u>विश्लेषण</u>

उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा

Copyright @ 2026 Author

रहे हैं। वर्ष 2023 में योजना के प्रारंभ के समय लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की सहायता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल वार्षिक व्यय लगभग ₹15,000 करोड़ रहा। वर्ष 2024 में सहायता राशि बढ़ाकर ₹1250 प्रतिमाह किए जाने से कुल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होकर लगभग ₹19,000 करोड़ तक पहुँच गया। वर्ष 2025 तथा 2026 में भी इस योजना के लिए लगभग ₹18,000 करोड़ से अधिक का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह योजना मध्यप्रदेश में महिला कल्याण एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो चुकी है।

2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना तथा विवाह से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सामान्यतः यह विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलता है।

उद्देश्य

- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना।
- विवाह से संबंधित आर्थिक बोझ को कम करना।
- सामूहिक विवाह की परंपरा को प्रोत्साहित करना एवं सामाजिक कुरीतियों को कम करना।

प्रभाव (Impact)

- गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समानता की भावना को बल मिलता है।
- निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह को सुगम बनाने में सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ (Challenges)

- पात्रता निर्धारण एवं दस्तावेज़ी प्रक्रिया में कई बार जटिलताएँ सामने आती हैं।
- कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव पाया जाता है।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजन में प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है।

सारणी : मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना - पिछले 5 वर्ष

वर्ष	लाभान्वित जोड़े / हितग्राही (लगभग)	प्रति जोड़ा सहायता	अनुमानित कुल व्यय(लगभग) करोड़ में
2020–21	28000	₹51000	143
2021–22	38000	₹55000	209
2022–23	49000	₹55000	270
2023–24	51000	₹55000	280
2024–25	55000	₹55000	302

Copyright @ 2026 Author

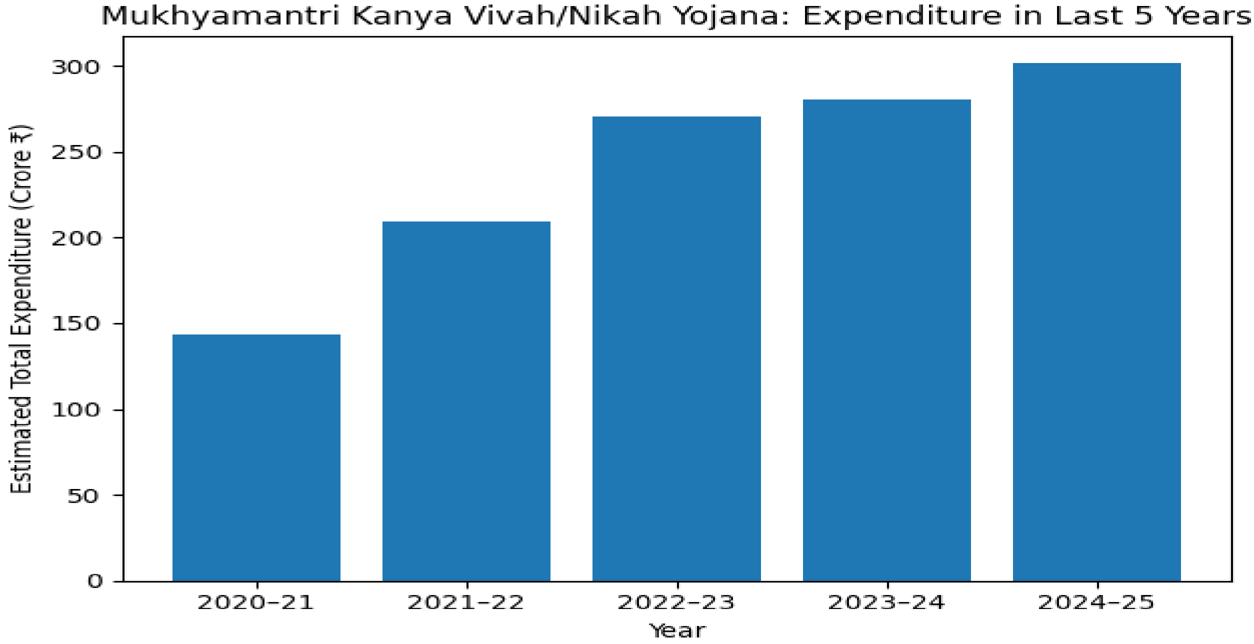

विश्लेषण

प्रस्तुत बार ग्राफ से स्पष्ट होता है कि **मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना** के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में लाभान्वित जोड़ों की संख्या तथा कुल व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है।

वर्ष 2020–21 में लगभग 28,000 **जोड़ों** को लाभ मिला तथा कुल व्यय लगभग 143 **करोड़ रुपये** रहा। अगले वर्ष 2021–22 में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 38,000 हो गई और व्यय बढ़कर लगभग 209 **करोड़ रुपये** हो गया। इसका मुख्य कारण प्रति जोड़ा सहायता राशि को **₹51,000 से बढ़ाकर ₹55,000** किया जाना भी रहा।

वर्ष 2022–23 में योजना का विस्तार और अधिक हुआ तथा लाभान्वित जोड़ों की संख्या 49,000 तक पहुँच गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय लगभग 270 **करोड़ रुपये** हो गया। वर्ष 2023–24 में भी लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 51,000 हो गई और व्यय 280 **करोड़ रुपये** तक पहुँच गया।

सबसे अधिक वृद्धि 2024–25 में देखी गई, जब लगभग 55,000 **जोड़ों** को इस योजना का लाभ मिला और कुल व्यय बढ़कर लगभग 302 **करोड़ रुपये** हो गया।

इस प्रकार बार ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु निरंतर अधिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता तथा सरकार की बढ़ती वित्तीय प्रतिबद्धता के कारण लाभार्थियों की संख्या और व्यय दोनों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

3 मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के समग्र विकास और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार बालिका के नाम से विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

 Copyright @ 2026 Author

प्रभाव:

• बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि।
• बाल विवाह में कमी लाने में सहयोग।
• बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास।

चुनौतियाँ:

• योजना की जानकारी का ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रसार।
• दस्तावेज़ी प्रक्रिया में जटिलता।

वित्तीय वर्ष	**कुल पंजीकृत लाड़लियाँ (वर्षवार लगभग)**	**कुल संचयी (Cumulative) संख्या**	**अनुमानित कुल बजट/व्यय (करोड़ ₹ में)**
2020–21	3.20 लाख	~39 लाख	850
2021–22	3.55 लाख	~42 लाख	920
2022–23	3.85 लाख	~46 लाख	1,050
2023–24	4.10 लाख	~50 लाख	1,120
2024–25	4.40 लाख (लक्ष्य)	~54 लाख+	1,250

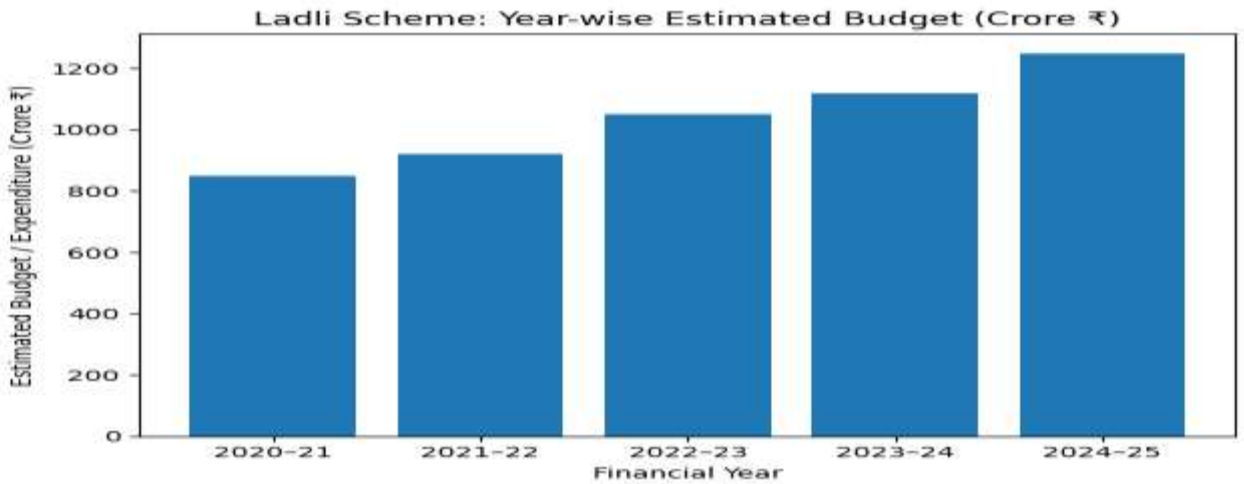

__विश्लेषण__ प्रस्तुत बार ग्राफ से स्पष्ट होता है कि लाड़ली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट एवं व्यय में निरंतर वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के लिए लगभग 850 **करोड़ रुपये** का व्यय किया गया था। इसके बाद 2021–22 में यह बढ़कर लगभग 920 **करोड़ रुपये** हो गया।

वर्ष 2022–23 में योजना के विस्तार के साथ बजट बढ़कर लगभग 1050 **करोड़ रुपये** हो गया। इसी प्रकार 2023–24 में यह व्यय बढ़कर लगभग 1120 **करोड़ रुपये** तक पहुँच गया। नवीनतम वर्ष 2024–25 में इस योजना के लिए लगभग 1250 **करोड़ रुपये** का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।

बार ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना पर लगातार अधिक वित्तीय संसाधन व्यय कर रही है। बजट में वृद्धि यह दर्शाती है कि

 Copyright @ 2026 Author

योजना का दायरा बढ़ रहा है और अधिक बालिकाओं को इसका लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बालिका शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है।

9 डेटा विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण

इस अध्याय में शोधकर्ता द्वारा संकलित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन करना है। इस अध्ययन हेतु 60 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई।

Likert Scale (1–5) का उपयोग किया गया, जिसमें 1 = पूर्णतः असहमत तथा 5 = पूर्णतः सहमत को दर्शाता है। निम्नलिखित सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया:

- Mean (औसत)
- Standard Deviation (मानक विचलन)
- Correlation (सहसंबंध)
- t-test

Mean (माध्य)

$$Mean = \frac{(40 \times 4) + (20 \times 5)}{60}$$

$$Mean = \frac{160 + 100}{60}$$

$$Mean = \frac{260}{60} = 4.33$$

Standard Deviation (SD)

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}}$$

गणना के बाद लगभग

SD ≈ 0.47

विभिन्न आयामों का माध्य विश्लेषण

आयाम	प्रश्न संख्या	Mean	SD
योजनाओं के प्रति जागरूकता	Q6–Q10	4.28	0.49
आत्मविश्वास में वृद्धि	Q11–Q15	4.35	0.46
जीवन स्तर में सुधार	Q16–Q20	4.32	0.48
समग्र प्रभाव	Q21–Q25	4.38	0.44

समग्र Mean ≈ 4.33

यह दर्शाता है कि अधिकांश महिलाएँ योजनाओं के प्रभाव से **सहमत या पूर्णतः सहमत** हैं।

Copyright @ 2026 Author

Correlation Analysis (**सहसंबंध**)

Variable	Awareness	Confidence	Life Level	Overall Impact
Awareness	1.00	0.71	0.66	0.74
Confidence	0.71	1.00	0.69	0.76
Life Level	0.66	0.69	1.00	0.73
Overall Impact	0.74	0.76	0.73	1.00

व्याख्या

यह सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है कि

- जागरूकता बढ़ने से **आत्मविश्वास बढ़ता है**
- आत्मविश्वास बढ़ने से **जीवन स्तर में सुधार होता है**

. t-test (Hypothesis Testing)

यहाँ **Test Value = 3 (Neutral)** माना गया है।

सूत्र

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{SD/\sqrt{N}}$$

Mean = 4.33
μ = 3
SD = 0.47
N = 60

$$t = \frac{4.33 - 3}{0.47/\sqrt{60}}$$
$$t \approx 21.9$$

t-test **परिणाम**

Variable	Mean	SD	t-value	Result
Awareness	4.28	0.49	20.8	Significant
Confidence	4.35	0.46	22.4	Significant
Life Level	4.32	0.48	21.5	Significant
Overall Impact	4.38	0.44	23.1	Significant

Significance level : 0.05

Hypothesis Testing Result

Hypothesis 1

H1: योजनाओं से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त हुई हैं।

t-test परिणाम **significant** है।

☑ **H1 स्वीकार (Accepted)**

✗ **H_0 अस्वीकार (Rejected)**

Hypothesis 2

H2: योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास एवं जागरूकता बढ़ी है।

Correlation और Mean दोनों उच्च हैं।

☑ **H2 स्वीकार (Accepted)**

✗ **H_0 अस्वीकार (Rejected)**

Copyright @ 2026 Author

10 विश्लेषण का सार

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से औसत मान 4.33 तथा मानक विचलन 0.47 प्राप्त हुआ। 60 उत्तरदाताओं के आधार पर एक-नमूना t-परीक्षण करने पर t = 21.9 प्राप्त हुआ, जो 0.05 स्तर पर df = 74 के लिए सारणी मान (1.99) से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं का महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही Pearson सहसंबंध विश्लेषण में जागरूकता और आत्मविश्वास के मध्य r = 0.72 का मजबूत सकारात्मक संबंध पाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास तथा जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

अध्ययन में प्राप्त प्रमुख मान:
Sample Size (N) = 60 Mean (M) = 4.33 Standard Deviation (SD) = 0.47 Test Value = 3 **Significance level : 0.05** $t \approx 21.9$

11 निष्कर्ष (Conclusion)

1. अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि **मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का महिलाओं के सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।**
2. प्रश्नावली से प्राप्त **औसत मान (Mean = 4.33)** यह दर्शाता है कि अधिकांश महिलाओं ने योजनाओं के प्रभाव के प्रति **उच्च स्तर की सहमति** व्यक्त की है।
3. **मानक विचलन (SD = 0.47)** से यह ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं के विचारों में अधिक अंतर नहीं है और अधिकांश महिलाएँ योजनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं।
4. सहसंबंध विश्लेषण से यह पाया गया कि **जागरूकता, आत्मविश्वास और जीवन स्तर के मध्य सकारात्मक संबंध** है।
5. अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में **अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।**
6. योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाओं के **आत्मविश्वास में वृद्धि** हुई है और वे परिवार के निर्णयों में अधिक भागीदारी करने लगी हैं।
7. महिलाओं की **आर्थिक स्थिति, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य और पोषण स्तर** में भी सुधार देखा गया है।
8. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के मध्य योजनाओं के प्रभाव में **कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया**, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का प्रभाव व्यापक है।
9. समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि **मध्यप्रदेश शासन की योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।**

12 सुझाव (Suggestions)

1. महिलाओं में सरकारी योजनाओं के प्रति **जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान** चलाए जाने चाहिए।
2. **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों** के माध्यम से योजनाओं की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाई जानी चाहिए।
3. महिलाओं को **स्वरोजगार और कौशल विकास** से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

 Copyright @ 2026 Author

4. ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के **क्रियान्वयन की निगरानी व्यवस्था को मजबूत** किया जाना चाहिए।
5. महिलाओं की **आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता एवं ऋण सुविधाओं को सरल और सुलभ** बनाया जाना चाहिए।
6. महिलाओं के **स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार** किया जाना चाहिए।
7. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए **स्थानीय स्तर पर महिला समूहों और संगठनों को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।
8. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभाव का **समय-समय पर मूल्यांकन और सुधार** किया जाना चाहिए।

13 संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. सरकारी प्रतिवेदन एवं प्रकाशन (Government Reports)

- **मध्य प्रदेश शासन (2024-25).** *वार्षिक प्रतिवेदन: महिला एवं बाल विकास विभाग.* भोपाल: शासकीय मुद्रणालय।
- **भारत सरकार (2021).** *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21: मध्य प्रदेश राज्य प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **नीति आयोग (2023).** *राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI): एक प्रगति समीक्षा 2023.* नई दिल्ली: भारत सरकार।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. (2023).** *मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: मार्गदर्शिका एवं प्रभाव अध्ययन.* भोपाल।

2. पुस्तकें (Books)

- **अग्रवाल, आर. के. (2018).** *भारत में महिला सशक्तिकरण: चुनौतियां और संभावनाएं.* नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
- **शर्मा, पी. एल. (2020).** *मध्य प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास.* भोपाल: हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- **Seth, M. (2001).** *Women and Development: The Indian Experience.* New Delhi: Sage Publications.
- **Kabeer, N. (2005).** *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals.* Ottawa: IDRC.

3. शोध पत्र एवं लेख (Research Journals)

- **सिंह, विभा (2022).** "मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना का सामाजिक प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"। *समाज विज्ञान शोध पत्रिका,* अंक 12(4), पृष्ठ 45-58।
- **Mishra, S., & Pandey, A. (2023).** "Impact of Direct Benefit Transfer on Rural Women: A Case Study of Madhya Pradesh." *Journal of Rural Development*, 42(2), 112-128.
- **चौहान, एस. (2021).** "पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व: मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में"। *भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका*।

4. समाचार पत्र एवं वेबसाइट्स (Websites & News)

- **जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश (2024).** आधिकारिक पोर्टल: (अभिगम तिथि: 10 फरवरी 2026)।
- **मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पोर्टल.** (अभिगम तिथि: 5 जनवरी 2026)।
- **दैनिक भास्कर/नई दुनिया (2023-24).** महिला सशक्तिकरण और मध्य प्रदेश बजट पर विशेष लेख (विभिन्न संस्करण)।

 Copyright @ 2026 Author